तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर के0पाटन के यहां बाबत निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सीलिंग के प्रकरण में दिनांक 24–4–98 को वादी क पक्ष में निर्णय की पालना में नामांतरकरण संख्या–1 दिनांक 20–6–98 को पारित किया जा चुका है तथा कब्जा भी वादी को दिया जा चुका है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण वादीगण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करते है अतः उन्हें पाबंद करते हुये विवादित आराजी पर रिसवीर नियुक्त किया जावे। प्रार्थीगण ने जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी उसे 1977 में आवंटित की गई थी तथा वह आवंटन दिनांक से विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है। वादीगण उसे विवादित आराजी से बेदखल करना चाहत है अतः वादीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। न्यायालय सहायक कलेक्टर के0पाटन ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–12–99 को प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा साथ ही वादीगण अप्रार्थीगण का रिसीवर प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 12–8–04 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुये नगद प्रतिभूति 800/–रूपये प्रति बीधा प्रतिवर्ष आरोपित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि प्रार्थी वर्ष 1977 से उसे विधिवत् रूपसे आवंटित भूमि पर काबिजकाश्त है। प्रार्थीगण खातेदार की हैसियत से काबिजकाश्त होने के कारण उसे अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। बिना कारण राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिभूति राशि आरोपित की है। प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही परिलक्षित करना होता है तथा वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद ही धारा 188 का है तथा कब्जे के अभाव में उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। वादी ने स्वयं कब्जा प्रार्थी का माना है। परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू साबित कर दिया था किंतु परीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को नजदअदांज करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनमाने तौर पर खारिज कर दिया। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय ने गलत रूपसे आंशिक स्वीकार कर प्रतिभूति राशि आरोपित कर दी। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित भूमि का नामांतरकरण दिनांक 20–6–98 से स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज की गई है। अप्रार्थी को विवादित आराजी पर भौतिक रूपसे कब्जा भी दे दिया गया है। विवादित भूमि अप्रार्थी के पिता से सीलिंग कार्यवाहीं में अधिग्रहण की गई थी जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर बूंदी के आदेश के अंतर्गत सीलिंग से मुक्त कर अप्रार्थीगण को संभला दी गई। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी विवादित आराजी के खातेदार व काबिज सीलिंग कार्यवाहीं में आवंटी का कोई पक्ष नहीं होता है और न ही उसे पक्षकार बनाना आवश्यक है। परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही रूपसे निरस्त कर दिया जिसकी अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी पर प्रतिभूति राशि आरोपित की है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित भूमि अप्रार्थी ूलचंद, जगन्नाथ से सीलिंग कार्यवाहीं में अधिग्रहण की जाकर प्रार्थी मनोहरलाल वगैरह को आवंटित कर दी गई थी। सीलिंग कार्यवाहीं में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–6–97 से अप्रार्थी मूलचंद वगैरह की कुछ कम भूमि अधिग्रहण योग्य मानी गई और 2 बीघा 14 बिस्वा एवं 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि लौटाये जाने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में प्रार्थी आवंटी की भूमि नामांतरकरण संख्या–1 से अप्रार्थी मूलचंद वगैरह के खाते में दर्ज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी पर प्रार्थी मनोहरलाल का कब्जा मानते हुये विवादित भूमि के सबंध में आवंटी का अपना कब्जा काश्त बनाये रखने के लिये उसकी प्रस्तुत अपील आंशिक रूपसे स्वीकार करते हुये 800/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से नकद प्रतिभूति आरोपित की है। हमारी सुविचारित राय में अपीलीय न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निगरानी अधीन आदेश दिनांक 12–8–04 में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं। परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए./5258/ 2004 / जिला बूंदी
मनोहर वगैरह बनाम मूलचंद व अन्य